क्रम संख्या–54 (ख) पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बुधवार, 10 मई, 2023 ई0

बैशाख 20, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1

संख्या 744/VII-A-1/23/24 ख/2007

देहरादून, 10 मई, 2023

अधिसूचना

सा0 प0 नि0–14

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शासन की अधिसूचना संख्या–211/VII-A-1/23/24 ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 21(11) एवं नियम 22(6) को निम्नवत् संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

खनिज का नाम	वर्तमान में प्रचलित दरें		प्रतिस्थापित दरें	
	रायल्टी (नियम 21 की प्रथम अनुसूची के अनुसार)	अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) (नियम 22 की द्वितीय अनुसूची के अनुसार)	रायल्टी (नियम–21)	अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) (नियम–22)
सिलिका सैण्ड	रू0 350 प्रति टन	30,000.00 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गयी हो)	रू0 100 प्रति टन	6000 प्रति है0 प्रति वर्ष व तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गयी हो)

2– उक्तनुसार रॉयल्टी/अपरिहार्य भाटक की संशोधित दरें आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

3– उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2016 में उपरोक्तानुसार किये गये संशोधन के उपरान्त नियमावली के शेष प्राविधान यथावत प्रभावी रहेंगे।

आज्ञा से,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 08 औ0वि0/221–2023–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।